

# राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी, जयपुर

(निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा भवन, गोविन्द मार्ग, जयपुर)

क्रमांक:- F1(79)DME/Raj-MES/2017 7970

दिनांक 06/XII/2017

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश संख्या 279 दिनांक 29.11.17 के द्वारा चिकित्सक शिक्षकों की नियुक्ति कर उन्हें 7 दिवस में पदस्थापित मेडिकल कॉलेज में कार्यग्रहण करने के लिए निर्देशित किया गया था, किन्तु अभी तक विभिन्न कारणों से कई चिकित्सक कार्यग्रहण नहीं कर पाये हैं।

अतः उक्त आदेश से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों को कार्यग्रहण करने के लिए दिनांक 14.12.2017 तक की कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि की जाती है। शेष शर्तें यथावत रहेगी।

समन्वयक  
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर

क्रमांक:- F1(79)DME/Raj-MES/2017 7970

दिनांक 06/XII/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राजस्थान सरकार एवं अध्यक्ष राजमेस, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं उपाध्यक्ष, राजमेस राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज, पाली, चूरु, डूंगरपुर, भरतपुर एवं भीलवाडा।
4. सदस्य ..... राजमेस, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

समन्वयक  
राजस्थान मेडिकल एज्युकेशन सोसायटी  
जयपुर